न्यायालय जिला पंजीयक (कलक्टर),सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 12/2009

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री हीरालाल पुत्र श्री हेमाशंकर व्यास जाति रोडवाल ब्राह्मण निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 72 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 09.06.2021

अपीलार्थी ने यह अपील भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 72 के तहत उप पंजीयक भावरी तहसील पिण्डवाडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक/पंजीयक/09/268 दिनांक 02.06.2009 के विरूद्ध दिनांक 29.6.2009 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेपोडेन्ट को नोटिस जारी किया । रेस्पोडेन्ट की और से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि उप पंजीयक भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही द्वारा बंटवाडनामे का रजिस्ट्रेशन करने से मना करने में कानूनन व तथ्यात्मक भूल की है। अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलांट व इनके भाईयों के मध्य सम्पत्ति का बंटवाडा दिनांक 12.11.1977 को हो गया था जो दस्तावेज के रूप में लिखा गया जिसके बाद न्यायालय वाद हुआ तब न्यायालय के निर्देश पर स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया। यह है कि कलेक्टर(मुद्रांक) पाली ने उक्त दस्तावेज पर रूपये 30866/– का स्टाम्प फीस लेकर स्टाम्प लगा दिया। अपीलांट ने उसे रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प युक्त मानकर अपर जिला न्यायालय आबूरोड में पेश किया जिस पर पुनः आपत्ति होने पर रजिस्ट्रेशन हेतु न्यायालय ने मना किया तब अपीलांट उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में गया जहां से दिनांक 16.03.2009 को आदेश पारित हुआ। यह है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश के बाद उक्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हेतु पेश किया जिसे म्याद में नहीं होने के आधार पर खारिज करने में भारी भूल की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर उपपंजीयक भावरी द्वारा पारित आदेश क्रमांक/पंजीयक/09/268 दिनांक 02.06.2009 विधि विरुद्ध होने से खारिज करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि उपपंजीयक भावरी द्वारा उक्त आदेश पारित करने में किसी भी तरह की कोई काननून भूल नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवाडनामा दिनांक 30.05.1970 एवं फारगती पत्र दिनांक 12.11.1977 का था जो न्यायालय ए.डी.जे. कोर्ट आबूरोड के प्रकरण [illegible]/07 से सम्बन्धित है। जिसको पंजीयन हेतु उपपंजीयक भावरी के कार्यालय में पेश किया [illegible] दस्तावेज पंजीयन अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा से अवधि पार [illegible] के कारण पंजीयन नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अपीलांट की सम्पत्ति का निष्पादित बंटवाडानामा दिनांक 30.05.1970 को एवं उक्त बंटवाडानामा के साक्ष्य में दिनांक 12.11.1977 को निष्पादित फारगती विलेख जारी किया गया। यह है कि सिरोही जिले में स्थित सम्पत्तियों के बारे

जिला पंजीयक
सिरोही-307001

Scanned with CamScanner

में निर्णय करने का अधिकार न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) पाली होने से उक्त न्यायालय द्वारा राजस्थान स्टाम्प एक्ट के शेड्यूल के आर्टिकल 42 के अनुसार बंटवाडे में बडे हिस्से को छोडकर शेष अलग हुए हिस्से की मालियत पर कन्वेंस की दर से मुद्रांक कर देय होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवाडानामा की फोटो प्रति उपपंजीयक भावरी को मूल्यांकन हेतु भेजी गई। उपपंजीयक भावरी ने वर्तमान प्रचलित दर से मूल्यांकन कर सम्पति को पुराना होने का हवाला देते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट पेश की, जिस पर अपीलांट ने आपत्ति जाहिर की कि दस्तावेज दिनांक 30.05.1970 को निषादित हुआ है, जिसका मूल्याकंन वर्तमान दर से नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ष 1970 में ग्राम रोहिडा में मकानों की कीमत बहुत कम थी तथा न्यायालय द्वारा दस्तावेज निष्पादन की तिथि को देय मुद्रांक कर वसूल करने के निर्देश दिए है। इस पर कलेक्टर (मुद्रांक) पाली ने स्टाम्प एक्ट 1998 की धारा 39 के तहत देय मुद्रांक कर 2806/– व 10 गुणा शास्ति रूपये 28060/– कुल रूपये 30,866/– अपीलांट को सिरोही जिले में स्थित सम्पत्तियों हेतु मुद्रांकित किए जाने के आदेश दिनांक 31.08.2007 को दिए गए। उक्त आदेश के पालना में अपीलांट ने उपपंजीयक भावरी को जरिए रसीद संख्या 2007008898 दिनांक 01.09.2007 को राशि 30866/– जमा करा दी गई। अपीलांट द्वारा इसके अलावा अपर जिला न्यायालय आबूरोड जिला सिरोही में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत मुकदमा संख्या 09/2001 प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 19.11.2008 को होकर खारिज हुआ जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपर में सिविल रिट पिटिशन नम्बर 243/2009 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 16.03.2009 को होकर अपर जिला न्यायालय आबूरोड का दिनांक 19.11.2008 को यथावत रखा जाकर रिट याचिका खारिज की गई। उपरोक्त विवेचन को मद्देनजर रखते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत कर दी गई थी एवं कलेक्टर मुद्रांक पाली के आदेश की पालना में दिनांक 01.09.2007 को मुद्रांक शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 30866/– उपपंजीयक भावरी के यहां जमा करा दिए गए थे। चूंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 23 के अनुसार कोई भी दस्तावेज 4 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से यह न्यायालय उपपंजीयक भावरी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपपंजीयक भावरी द्वारा पारित आदेश क्रमांक/पंजीयक/09/268 दिनांक 02.06.2009 को यथावत कायम रखा जाता है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला पंजीयक (कलक्टर),
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner